


## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या- 897/2013.....जिला.....बीकानेर.....

उनवान-रामलाल पुत्र छगनलाल अरोडा, बीकानेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक द्वितीय, बीकानेर व अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.06.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ <u>श्री राजीव चौधरी-सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री अजीत लोढ़ा एवं अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार के वित्त (कर) विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत प्रार्थी ने विभाग द्वारा दी गई छूट का अनुलाभ लेकर शेष बकाया रकम जमा करा दी गई है। इस कारण से उक्त निगरानी सारहीन हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके निगरानी सारहीन होने के कारण विचाराधीन निगरानी को विद्वान करने की अनुमति प्रदान करें।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 897/2013/बीकानेर जरिये (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p style="text-align: center;">आदेश/निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">               09/06/16              (राजीव चौधरी)              सदस्य         </div>	